



उत्तर प्रदेश

RO/ARO

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज

भाग-5

भारत की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था



विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ	1
2	प्रस्तावना	7
3	संविधान की मुख्य विशेषताएँ	9
4	नागरिकता	12
5	मौलिक अधिकार	20
6	राज्य के नीति के निदेशक तत्व	38
7	मौलिक कर्तव्य	44
8	संवैधानिक संशोधन	46
9	आपातकालीन प्रावधान	48
10	राष्ट्रपति	52
11	उपराष्ट्रपति (उपाध्यक्ष)	58
12	प्रधान मंत्री	60
13	केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्	62
14	संसद	66
15	भारतीय न्यायिक प्रणाली	95
16	संवैधानिक निकाय	111
17	गैर-संवैधानिक उपाय	126
18	अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत	141
19	राष्ट्रीय आय	146
20	धन और पैसे की आपूर्ति	151
21	मौद्रिक नीति	158
22	भारत में बैंकिंग	163
23	मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र	183

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
24	बाहरी क्षेत्र और भुगतान संतुलन	191
25	भारतीय सार्वजनिक वित्त	205
26	कराधान	213
27	अनुदान	227
28	बुनियादी ढांचा	231
29	उद्योग	245
30	भारत में योजना	257
31	कृषि	264

1

CHAPTER

भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ



- संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है-
 - जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है।
 - जो देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है।
 - जो राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है।

संविधान के कार्य

- राजनीतिक समुदाय की सीमाओं को घोषित और परिभाषित करना।

- राजनीतिक समुदाय की प्रकृति और अधिकार को घोषित और परिभाषित करना।
- एक राष्ट्रीय समुदाय की पहचान और मूल्यों को व्यक्त करना।
- नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की घोषणा करना और उन्हें परिभाषित करना।
- सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाएँ स्थापित करना।
- सरकार या उप-राज्य समुदायों के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का वितरण करना।
- राज्य की आधिकारिक धार्मिक पहचान घोषित करना।
- विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों के लिए राज्यों को प्रतिबद्ध करना।

भारत के संविधान का विकास

भारत में कंपनी शासन (1773-1858)

<p>रेगुलेटिंग एक्ट, 1773</p> <p>* कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन • बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद की स्थापना • इस एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। • बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाता था। • भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी। • कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774) की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश थे। • भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों के संबंध में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को आवश्यक कर दिया।
<p>संशोधन अधिनियम (बंदोबस्त कानून), 1781</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1781 के संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को मुक्त करने के साथ ही कंपनी के लोक सेवकों के द्वारा अपने कार्यकाल में संपन्न कार्यवाहियों के लिए मुक्त कर दिया गया। • कलकत्ता के सभी निवासियों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया और न्यायालय द्वारा हिन्दू व मुस्लिमों को उनके निजी कानूनों के हिसाब से मामलों तय करने की व्यवस्था की गई। • न्यायालय को प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून का प्रशासन करने का अधिकार था।
<p>पिट्स इंडिया एक्ट, 1784</p>	<ul style="list-style-type: none"> • द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की। <ul style="list-style-type: none"> ○ कंपनी के वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए निदेशक मंडल को अनुमति दी। ○ अपने राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक निकाय का गठन किया गया। • ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार तथा राजस्व गतिविधियों के पर्यवेक्षण की शक्ति नियंत्रण बोर्ड को प्रदान की गई।
<p>चार्टर अधिनियम, 1813</p>	<ul style="list-style-type: none"> • भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया। <ul style="list-style-type: none"> ○ अपवाद- चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ही रखा गया।



	<ul style="list-style-type: none"> • कर लगाने के लिए स्थानीय सरकारों को अधिकृत किया।
चार्टर अधिनियम, 1833	<ul style="list-style-type: none"> • बंगाल का गवर्नर जनरल → भारत का गवर्नर जनरल (GGI) बना। • भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल (लॉर्ड विलियम बेंटिक)। <ul style="list-style-type: none"> ○ सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित किया गया। ○ संपूर्ण ब्रिटिश भारत की अनन्य विधायी शक्तियाँ। • कंपनी → विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी।
चार्टर अधिनियम, 1853	<ul style="list-style-type: none"> • भारत का गवर्नर जनरल (GGI) की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। • गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद गठित करके उसे भारतीय विधान परिषद् नाम दिया गया जिसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसने मिनी संसद की तरह कार्य किया। • भारतीयों के लिए भी भारतीय सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की व्यवस्था की गई, और इसके लिए मैकाले समिति नियुक्त की गई। • भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। (6 सदस्यों में से 4 मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जायेंगे।)

भारत में क्राउन रूल (1858 से 1947)

भारत सरकार अधिनियम, 1858	<ul style="list-style-type: none"> • ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया। • इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। • भारत का गवर्नर जनरल (GGI) के पद को भारत का वायसराय पदनाम दिया गया (प्रथम वायसराय - लॉर्ड कैनिंग)। <ul style="list-style-type: none"> ○ भारत का गवर्नर जनरल (GGI)- भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि। • बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके द्वैध प्रणाली को समाप्त किया गया। • भारत के राज्य सचिव, पद का सृजन करके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई। • भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861	<ul style="list-style-type: none"> • वायसराय द्वारा विधान परिषद में भारतीयों को गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करने के लिए व्यवस्था की गई। (लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव) • बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। • बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की। • वायसराय द्वारा परिषद के लिए नियम और आदेश बनाए जाएँगे। <ul style="list-style-type: none"> ○ लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। • वायसराय को आपातकाल में 6 महीने की वैधता के साथ अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892	<ul style="list-style-type: none"> • केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। • विधान परिषदें बजट पर चर्चा कर सकती हैं और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। • केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान। • इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909	<ul style="list-style-type: none"> • मॉर्ले-मिटो सुधार भी कहा जाता है। • केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या 16 से 60 हो गई और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या एक समान नहीं थी। • दोनों परिषदों के सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर प्रस्ताव पेश कर सकते थे।

	<ul style="list-style-type: none"> • वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ किसी भारतीय को संबद्ध होने का प्रावधान। (सर्वेन्द्र प्रसाद सिन्हा कानून सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय) • मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान।
भारत सरकार अधिनियम, 1919	<ul style="list-style-type: none"> • मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। • केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक्करण किया गया। • हस्तांतरित प्रांतीय विषय- विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर द्वारा शासित। • आरक्षित प्रांतीय विषय- गवर्नर द्वारा अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासित। • देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की। • वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। • सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। • संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान करना। • लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया। • सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय सेवा आयोग की स्थापना। • प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया।
भारतसरकार अधिनियम, 1935	<ul style="list-style-type: none"> • अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें राज्य और रियासतें एक इकाई के रूप में थीं। • शक्तियों का तीन सूचियों में पृथक्करण किया गया: <ul style="list-style-type: none"> ○ संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 विषय) ○ राज्य सूची (राज्य के लिए, 54 विषय) ○ समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषय)। • अवशिष्ट शक्तियाँ: वायसराय में निहित किया गया। • प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। <ul style="list-style-type: none"> ○ प्रांतों में उत्तरदायी जिम्मेदार सरकारों की शुरुआत की गई। • केंद्र में द्वैध शासन को अपनाकर संघीय विषयों को हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था। • 11 में से 6 प्रांतों (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत) में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। • दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाकर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तार प्रदान किया गया। • भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। • भारत की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। • संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना। • 1937 में संघीय-न्यायालय की स्थापना की गई।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947	<ul style="list-style-type: none"> • माउंटबेटन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। • भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करके इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। • 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया। • ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्रों के रूप में विभाजित किया गया। • संविधान सभाओं को अपने संबंधित राष्ट्रों का संविधान बनाने और अपनाने का अधिकार दिया गया। • भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सभी शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया। • सिविल सेवकों की नियुक्ति तथा पदों में आरक्षण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। • इंग्लैंड के राजा से 'भारत के सम्राट' की उपाधि को समाप्त कर दिया गया।

- गवर्नर जनरल को विधेयकों को स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया लेकिन किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था।
- भारत के गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।

संविधान सभा

भारत की संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन योजना का प्रावधान-

- कुल सदस्य = 389 आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत।
 - 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गईं।
 - 11 गवर्नर्स के प्रांतों से 292 सदस्य
 - 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से 4 सदस्य
 - देसी रियासतों को 93 सीटें उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की गईं।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों, सिखों और सामान्य (अन्य) के बीच विभाजित किया जाना था।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव → एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
- रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन - रियासतों के प्रमुखों द्वारा।
- सदस्यों का चयन - अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा।
- जनता की भावनाओं को प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त, 1946 में हुआ।
 - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटों पर विजयी,
 - मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर विजयी,
 - 15 सीटों पर निर्दलीय प्रतिनिधियों विजयी।
- रियासतों ने स्वयं को संविधान सभा से पृथक रखने का निर्णय लिया इसलिए उनकी सीटें नहीं भरी गईं।
- संविधान सभा में समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि थे, लेकिन तत्कालीन प्रमुख हस्तियों में से महात्मा गाँधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- 28 अप्रैल, 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए।
- 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद अधिकांश रियासतों ने विधानसभा में प्रवेश किया, बाद में भारतीय अधिराज्य से मुस्लिम लीग भी संविधान सभा में शामिल हुई।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

- पहली बैठक- 9 दिसंबर, 1946, केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया।
- मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान की माँग की।

- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (सबसे वरिष्ठ सदस्य) संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए।
- एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी के रूप में उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए।

उद्देश्य प्रस्ताव

- 13 दिसंबर, 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। जिसे 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया।
- महत्वपूर्ण प्रावधान-
 - भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित तथा भविष्य के प्रशासन को चलाने हेतु संविधान निर्माण की घोषणा।
 - भारत, ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एक संघ होगा जिनकी संविधान सभा द्वारा निर्धारित निश्चित सीमाएँ होंगी तथा जिनके पास अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी और संघ में निहित सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों के अलावा सारी शक्तियाँ इन राज्यों में निहित होंगी।
 - संप्रभु स्वतंत्र भारत को सभी शक्तियाँ और अधिकार भारत की जनता से प्राप्त होंगे।
 - भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर की समता और कानून के समक्ष विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, संघ और कार्य की स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
 - न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार गणराज्य के क्षेत्र और भूमि, समुद्र और वायु पर उसके संप्रभु अधिकारों की अखंडता बनाए रखी जाएगी।
 - इस देश को दुनिया में अधिकार और सम्मानित स्थान दिलाया जायेगा साथ ही विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूर्ण और इच्छुक योगदान दिया जायेगा।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा परिवर्तन

- संविधान सभा → संविधान बनाने के लिए पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया।
- संविधान सभा: एक विधायी निकाय बन गया। जो कि संविधान बनाने और देश के लिए सामान्य कानून बनाने के लिए जिम्मेदार।
 - संविधान सभा के रूप में → डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में।

- एक विधायिका के रूप में → जी.वी. मावलंकर की अध्यक्षता में (26 नवंबर, 1949 तक)।
- मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हो गई।
 - संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटाकर 299 रह गई।

संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य-

- मई, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की।
- 22 जुलाई, 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।

- 24 जनवरी, 1950 को भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया।
- 24 जनवरी, 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
- 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया लेकिन 26 जनवरी, 1950 से 1951-52 में पहले आम चुनाव होने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य जारी रखा।

संविधान सभा की समितियाँ

	समिति	अध्यक्षता
प्रमुख समितियाँ 	संघ शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरू
	संघीय संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू
	प्रारूप समिति	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
	मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों व जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति – 5 उप समितियाँ	सरदार पटेल
	(i) मौलिक अधिकार उप-समिति	जे. बी. कृपलानी
	(ii) अल्पसंख्यक उप समिति	एच. सी. मुखर्जी
	(iii) उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र (असम के अलावा) और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति	गोपीनाथ बरदोई
	(iv) बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के सिंचित क्षेत्रों के अलावा) उप-समिति	ए. वी. ठक्करी
	(v) उत्तर-पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप-समिति	
	राज्यों के लिए समिति (राज्यों के समझौता करने के लिए)	जवाहर लाल नेहरू
	प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	लघु समितियाँ	वित्त और कर्मचारी समिति
प्रत्यायक समिति		अलादि कृष्णास्वामी अय्यर
सदन समिति		बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
कार्य संचालन समिति		डॉ. के.एम. मुंशी
संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति		जी.वी. मावलंकर
सर्वोच्च न्यायालय के लिये तदर्थ समिति		एस. वरदाचारी (सभा के सदस्य नहीं थे)
राष्ट्र ध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति		डॉ. राजेंद्र प्रसाद
मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति		बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति		नलिनी रंजन सरकार (सभा के सदस्य नहीं थे)
भाषाई प्रांत आयोग		एस. के. डार (सभा के सदस्य नहीं थे)
प्रारूप संविधान की जाँच के लिए विशेष समिति		जवाहरलाल नेहरू
नागरिकता पर तदर्थ समिति		एस. वरदाचारी (जो सभा के सदस्य नहीं थे)
	प्रेस दीर्घा समिति	उषा नाथ सेन

प्रारूप समिति-

- 29 अगस्त 1947 को नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था।
- समिति सदस्य : 7
 - अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर।
 - एन गोपालस्वामी अयंगर।
 - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
 - डॉ. के.एम. मुंशी।
 - सैयद मोहम्मद सादुल्ला।
 - एन. माधव राव (बी. एल. मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने पर उनकी जगह ली)।
 - टी. टी. कृष्णामाचारी (1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली)।
- फरवरी, 1948 में संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया।
- अक्टूबर, 1948 में दूसरा प्रारूप हुआ।

संविधान का प्रभाव में आना

- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया।
- संविधान पहली बार पढ़ा गया, और पाँच दिन तक आम चर्चा हुई।
- संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर, 1948 से विचार होना शुरू हुआ।
- तीसरी बार 14 नवंबर, 1949 से विचार होना शुरू हुआ।
- 26 नवंबर, 1949 को संविधान के प्रारूप को पारित किया गया।
- 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए प्रारूप संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ निहित थीं।

संविधान का प्रवर्तन-

- 395 अनुच्छेद।
- 8 अनुसूचियाँ।
- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित। नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान और संक्षिप्त शीर्षक 26 नवंबर, 1949 को लागू। तथा शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 (गणतन्त्र दिवस) को लागू हुए।

- संविधान को अपनाने के साथ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए।
- एबोलिशन ऑफ़ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट (1949) लागू रहा।

संविधान सभा की आलोचना-

- प्रतिनिधि निकाय नहीं - सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण जनादेश प्रतिबिंबित नहीं हुआ।
- एक संप्रभु निकाय नहीं - क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था और उनकी अनुमति से इसकी बैठक आयोजित की गई थी।
- अमेरिकी संविधान (केवल 4 महीने) की तुलना में संविधान बनाने में अधिक समय लगा।
- कांग्रेस का प्रभुत्व रहा।
- वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व रहा।
- हिंदुओं का वर्चस्व रहा।

- एस .एन. मुखर्जी - संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार (चीफ ड्राफ्टमैन)।
- प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा - सुलेखक (कैलिग्राफर) - संविधान के मूल शब्दों को प्रवाहित इटैलिक शैली में लिखा गया।
- नंद लाल बोस और बिउहर राममनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया।
- हिंदी संस्करण की सुलेख = वसंत कृष्ण वैद्य।
 - सजाया और प्रकाशित = नंद लाल बोस।
- हाथी- संविधान सभा की प्रतीक मुहर।
- मूल रूप से भारत के संविधान में हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया था।
 - हिंदी प्रारूप- 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया जिसने संविधान के अंतिम भाग XXII में एक नया अनुच्छेद 394-क जोड़ा गया।



भारतीय संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

- संविधान का परिचय या प्रस्तावना, संविधान के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- संविधान के आधार के रूप में बुनियादी दर्शन और मौलिक मूल्यों का प्रतीक है।
- संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है।
- शेष संविधान के लागू होने के बाद अधिनियमित किया गया था।
- न ही विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही कोई निषेधक।
- गैर-न्यायसंगत कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं।
- बुनियादी ढाँचे को बदले बिना संशोधित किया जा सकता है।

प्रस्तावना के मूल तत्व

- संविधान के अधिकार का स्तोत्र → भारत के लोग।
- भारत की प्रकृति भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है।
- संविधान के उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
- संविधान को अपनाने की तिथि - यह तारीख 26 नवंबर, 1949 है।

प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख शब्द

- **संप्रभुता** - पूर्ण संप्रभु सरकार वह है जो किसी अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होती है तथा अपने आंतरिक या बाहरी मामलों के निष्पादन में स्वतंत्र है। संप्रभु हुए बिना किसी देश का अपना संविधान नहीं हो सकता। भारत एक संप्रभु देश है। यह किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है।
- **समाजवादी** - मूल संविधान का हिस्सा नहीं।
 - 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
 - आर्थिक नियोजन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है।

- असमानताओं को दूर करने, सभी के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आदर्शों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता।
- **धर्मनिरपेक्षता** - 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया।
 - भारत न तो धार्मिक है, न अधार्मिक है और न ही धर्म विरोधी है।
 - कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं- राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है।
- **लोकतांत्रिक गणराज्य** - सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होती है।
 - लोकतांत्रिक प्रावधान - सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव, मौलिक अधिकार और जिम्मेदार सरकार।
 - गणतंत्र - राज्य का निर्वाचित प्रमुख (राष्ट्रपति → प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) ब्रिटेन जैसा वंशानुगत शासक नहीं।
- **न्याय** - लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास, निर्णय लेने में भागीदारी और मनुष्य के रूप में सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकारों के संदर्भ में वे क्या हकदार हैं।
 - रूसी क्रांति (1917) से न्याय के तत्वों को लिया गया है।
 - न्याय के तीन आयाम- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
 - **सामाजिक न्याय** - जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेद के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार।
 - **आर्थिक न्याय** - आर्थिक कारकों पर गैर-भेदभाव।

सामाजिक न्याय + आर्थिक न्याय =
'वितरणात्मक न्याय'

- **राजनीतिक न्याय** - सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुँच और सरकार तक अपनी बात रखने का अधिकार।

- **स्वतंत्रता** - विचार और अभिव्यक्ति की व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना।
 - फ्रांसीसी क्रांति (1789-1799) से लिया गया।

- **समानता** - समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों का अभाव और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान।

- समानता के तीन आयाम- नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक।

- **बंधुत्व** - भाईचारे की भावना, एकल नागरिकता की व्यवस्था और अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) द्वारा बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है।

संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना

बेरुबारी संघ बनाम अज्ञात मामला, 1960	केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, 1973	केंद्र सरकार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया मामले, 1995
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है' लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है।	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान की विधियों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।"	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्याय के न्यायालय में सीधे लागू करने योग्य नहीं है।



Toppersnotes
Unleash the topper in you

3

CHAPTER

संविधान की मुख्य विशेषताएँ

- सबसे लंबा लिखित संविधान - इसमें शामिल हैं -
 - केंद्र और राज्यों व उनके अंतर्संबंधों के लिए अलग प्रावधान।
 - दुनिया के कई स्रोतों और संविधानों से लिए गये प्रावधान।

देशों	भारतीय संविधान की अन्य संविधानों से प्रेरित विशेषताएँ
ऑस्ट्रेलिया	<ul style="list-style-type: none"> • समवर्ती सूची • व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता • संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
कनाडा	<ul style="list-style-type: none"> • एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था • केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना • केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति • उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार
आयरलैंड	<ul style="list-style-type: none"> • राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत • राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन • राष्ट्रपति के चुनाव की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
सोवियत संघ/रूस	<ul style="list-style-type: none"> • मौलिक कर्तव्य • प्रस्तावना में न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)
ब्रिटेन	<ul style="list-style-type: none"> • संसदीय सरकार • विधि का शासन • विधायी प्रक्रिया • एकल नागरिकता • कैबिनेट प्रणाली • परमाधिकार रिट • संसदीय विशेषाधिकार • द्विसदन
जापान	<ul style="list-style-type: none"> • विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
अमेरिका	<ul style="list-style-type: none"> • मौलिक अधिकार • न्यायपालिका की स्वतंत्रता • न्यायिक समीक्षा • राष्ट्रपति का महाभियोग • सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना • उपराष्ट्रपति का पद
जर्मनी (वाइमर)	<ul style="list-style-type: none"> • आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
दक्षिण अफ्रीका	<ul style="list-style-type: none"> • भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया • राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
फ्रांस	<ul style="list-style-type: none"> • गणतंत्र • प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान।
- अधिकारों की विस्तृत सूची, राज्य की नीति के निदेशक तत्व और प्रशासन प्रक्रियाओं का विवरण।
- मूल रूप से (1949) में एक प्रस्तावना, 395 लेख (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियां थीं।
- वर्तमान (2019) में, इसमें एक प्रस्तावना, 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल हैं।
- कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण -
 - कुछ हिस्सों में सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
 - कुछ संशोधनों को राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित करने की भी आवश्यकता होती है।
- भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र के रूप में- भारत अपने लोगों द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासित होता है।
- सरकार की संसदीय प्रणाली- संसद मंत्रिपरिषद के कामकाज को नियंत्रित करती है।
 - कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त है तब तक वह सत्ता में बनी रहती है।
 - भारत के राष्ट्रपति, जो पांच साल तक पद पर बने रहते हैं, नाममात्र, नाममात्र या संवैधानिक प्रमुख (कार्यकारी) होते हैं।
 - पीएम वास्तविक कार्यकारी और मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं जो सामूहिक रूप से निचले सदन (लोकसभा) के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- एकल नागरिकता- संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल नागरिकता को पूरे भारत में सभी राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है जो 'एक व्यक्ति एक वोट' के आधार पर कार्य करता है।
 - प्रत्येक भारतीय जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, किसी जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या स्थिति के बावजूद चुनाव में मतदान करने का अधिकार है।
- स्वतंत्र और एकीकृत न्यायिक प्रणाली- कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त।
 - न्याय व्यवस्था के शीर्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय जिसके नीचे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं।
- मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत -
 - मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं, लेकिन स्वयं संविधान द्वारा परिभाषित सीमाओं के अधीन हैं और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं।
 - राज्य के नीति निदेशक तत्व शासन के संबंध में राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश हैं और न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं।
 - 42 वें संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्य नैतिक विवेक हैं जिनका नागरिकों को पालन करना चाहिए।
- एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति के साथ संघ- भारत विनाशकारी राज्यों के साथ एक अविनाशी संघ है। जिसका अर्थ है कि यह आपातकाल के समय एकात्मक चरित्र प्राप्त करता है।
- न्यायिक समीक्षा के साथ संसदीय सर्वोच्चता को संतुलित करना- न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका।

भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ



भाग	विषय - वस्तु	संबंधित अनुच्छेद
I	संघ और उसके क्षेत्र	1- 4
II	नागरिकता	5 - 11
III	मौलिक अधिकार	12 - 35
IV	राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत	36 - 51
IV-A	मौलिक कर्तव्य	51(A)
V	केंद्र सरकार	52 - 151
	अध्याय I - कार्यपालिका	52 - 78
	अध्याय II - संसद	79 - 122
	अध्याय III - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ	123
	अध्याय IV - संघ की न्यायपालिका	124 - 147
	अध्याय V - भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक	148 - 151

VI	राज्य सरकारें	152 - 237
	अध्याय I - सामान्य	152
	अध्याय II - कार्यपालिका	153 - 167
	अध्याय III - राज्य विधानमंडल	168 - 212
	अध्याय IV - राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ	213
	अध्याय V - उच्च न्यायालय	214 - 232
	अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायालय	233 - 237
VII	राज्यों से सम्बंधित पहली अनुसूची का खंड-ख (7 वें संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त)	238 निरस्त
VIII	केंद्र शासित प्रदेश	239 - 242
IX	पंचायतें	243 - 243(O)
IX-A	नगर पालिकाएँ	243(P) - 243(ZG)
IX-B	सहकारी समितियाँ	243(ZH) - 243(ZT)
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 - 244(A)
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 - 263
	अध्याय I - विधायी संबंध अध्याय II - प्रशासनिक संबंध	245 - 255 256 - 263
XII	वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद	264 - 300(A)
	अध्याय I - वित्त अध्याय II - ऋण लेना अध्याय III - संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व, दायित्व और वाद अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार	264- 291 292 -293 294- 300 300-A
XIII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 -307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 -323
	अध्याय I - सेवाएँ अध्याय II - लोक सेवा आयोग	308 -314 315- 323
XIV-A	अधिकरण	323(A) - 323(B)
XV	निर्वाचन	324 - 329(A)
XVI	कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	330 - 342
XVII	राजभाषा	343 -351
	अध्याय I - संघ की भाषा	343- 344
	अध्याय II - क्षेत्रीय भाषाएँ	345 -347
	अध्याय III- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा	348 -349 350 -351
	अध्याय IV- विशेष निदेश	
XVIII	आपातकालीन प्रावधान	352 -360

XIX	विविध (प्रकीर्ण)	361 -367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369-392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393-395

अनुसूचियां संविधान में वे सूचियां हैं जो नौकरशाही गतिविधि और सरकार की नीति को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं।

संख्या	विषय - वस्तु
पहली अनुसूची	1. राज्यों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्र। 2. केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार (सीमाएँ)।
दूसरी अनुसूची	परिलब्धियों पर भत्तों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान 1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्य सभा के सभापति और उपसभापति 5. राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तीसरी अनुसूची	शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप 1. केंद्रीय मंत्री 2. संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार 3. संसद सदस्य 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 6. राज्य के मंत्री 7. राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए उम्मीदवार 8. राज्य विधानमंडल के सदस्य 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
चौथी अनुसूची	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
पांचवी अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।
सातवीं अनुसूची	सूची I (संघ सूची), सूची II (राज्य सूची) और सूची III (समवर्ती सूची) के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। वर्तमान में, संघ सूची में 100 विषय (मूल रूप से 97), राज्य सूची में 61 विषय (मूल रूप से 66) और समवर्ती सूची में 52 विषय (मूल रूप से 47) शामिल हैं।

आठवीं अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएँ थीं लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं। वे हैं - असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी (डोंगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
नौवीं अनुसूची	भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं और अन्य मामलों से निपटने वाली संसद के अधिनियम और विनियम (मूल रूप से 13 लेकिन वर्तमान में 282)। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक जांच से बचाने के लिए इस अनुसूची को प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि, 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
दसवीं अनुसूची	दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। इस अनुसूची को 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जिसे दलबदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।
ग्यारहवीं अनुसूची	पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
बारहवीं अनुसूची	नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। इसमें 18 विषय हैं। यह अनुसूची 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।

4

CHAPTER

नागरिकता



संवैधानिक प्रावधान – भाग II, में अनुच्छेद 5- 11

अनुच्छेद	प्रावधान
5	संविधान के प्रारंभ में नागरिकता।
6	पाकिस्तान से भारत प्रवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
7	पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार।
8	भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
9	किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।
10	नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता।
11	कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद।

- ब्रिटिश संविधान से प्रेरित।

नागरिकता

- राष्ट्र में एक व्यक्ति की पूर्ण राजनीतिक भागीदारी।
- राष्ट्र के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता।
- राजनीतिक व्यवस्था में उसके सही एकीकरण की राज्य की कानूनी स्वीकृति निर्धारित करता है।
- 2 तरह के लोग - नागरिक और विदेशी।
- **नागरिक** - भारतीय राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करता है और इसके प्रति निष्ठा रखता है।
 - सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम।
- **विदेशी** - किसी दूसरे राज्य के नागरिक।
 - सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम।
 - 2 श्रेणियां -
 - मित्र विदेशी - भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने वाले देश।
 - शत्रु विदेशी - उस देश से जो भारत के साथ युद्ध में है।
 - मित्रवत विदेशी की तुलना में कम अधिकारों का उपयोग कर पाते हैं।

अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किये गये हैं:

- धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 15)।
- सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार (अनुच्छेद 16)।
- भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)।
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)।
- लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों में मतदान का अधिकार।
- संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।
- कुछ सार्वजनिक कार्यालयों को धारण करने की योग्यता - भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, अनुसूचित जाति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ता।

नागरिकता और संविधान

- संविधान द्वारा स्थापित संपूर्ण भारत के लिए एक **एकल और समान नागरिकता**।
- **दोहरी नागरिकता और राज्य नागरिकता को अस्वीकार करता है।**
- नागरिकता से संबंधित कोई स्थायी या व्यापक प्रावधान नहीं है।
- केवल उन लोगों की पहचान करता है जो **26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक थे।**
- इसके प्रारंभ होने के बाद नागरिकता प्रदान करने/खोने के मुद्दे से संबंधित नहीं है।

अधिवास - (मूल निवासी) -

- मतलब स्थायी घर।
- अधिवास बनाने के लिए देश में निवास और इसे अपना घर बनाने की मंशा जरूरी है।

संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकों की श्रेणियां -

1. भारत में अधिवास रखने वाला व्यक्ति जिसने 3 शर्तों में से किसी एक को भी पूरा किया हो:

- अगर वह भारत में पैदा हुआ था।
- यदि उसके माता-पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो।
- अगर वह संविधान के लागू होने से ठीक पहले पांच साल से भारत में रह रहा हो।

2. वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया -

- यदि उसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और उसने भी दो शर्तों में से किसी एक को पूरा किया हो -
 - यदि 19 जुलाई, 1948 से पहले भारत आया हो- अपने प्रवास की तिथि से भारत में निवासी।
 - यदि 19 जुलाई, 1948 को अथवा उसके बाद भारत आया है- भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत।

* एक व्यक्ति को केवल तभी पंजीकृत किया जा सकता है जब वह पंजीकरण के लिए अपने आवेदन की तारीख से छह महीने पहले भारत में निवासी रहा हो।

3. वह व्यक्ति जो 1 मार्च, 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया और बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आए तो वह भारतीय नागरिक बन सकता है यदि और केवल यदि:

- पंजीकरण के लिए अपने आवेदन की तारीख से छह महीने तक भारत में निवास करना होगा।

4. एक व्यक्ति, जिसके माता-पिता अथवा दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, लेकिन आमतौर पर भारत से बाहर रहते हैं, एक भारतीय नागरिक बन पाएगा यदि वह भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीति अथवा पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन करता है।

- भारत के बाहर निवास करने वाले भारतीयों के लिए भारत की नागरिकता ग्रहण करने की व्यवस्था।

संक्षेप में, ये प्रावधान निम्नलिखित की नागरिकता से संबंधित हैं -

- भारत में अधिवासित व्यक्ति।
- पाकिस्तान से पलायन करने वाले व्यक्ति।
- व्यक्ति पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में लौट आए; भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति।

अन्य प्रावधान -

- जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है → नागरिकता समाप्त।
- संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के नियमों के अधीन एक व्यक्ति एक भारतीय नागरिक बना रहता है।

- संसद के पास नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के साथ-साथ नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार है।

नागरिकता अधिनियम 1955

1. भारतीय नागरिकता का अर्जन

- प्राप्त करने की पाँच शर्तें - जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र समावेशीकरण द्वारा।



a. जन्म -

- 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले - जन्म लेने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक है, चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रियता कुछ भी हो।
- 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद - जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाता है यदि उनके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं, या उनके माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा उनके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं है।

विदेशी राजनयिकों के बच्चे और शत्रुदेश एलियंस के बच्चे जन्म के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं हैं।

b. वंश - भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति -

- 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति देश के आधार पर भारतीय नागरिक है यदि उनके जन्म के समय उनके पिता भारत के नागरिक हो।
- 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत के नागरिक माना जाता है यदि उसके जन्म के समय उनके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- 03 दिसंबर 2004 के उपरांत जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत नहीं हो जाता।
 - कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार की अनुमति से 1 वर्ष के बाद पंजीकरण कराना संभव है।
 - नाबालिग बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए भारतीय वाणिज्य दूतावास को आवेदन के साथ माता-पिता की लिखित प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि बच्चे के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है।

वंश के आधार पर जो नाबालिक, अन्य देश का नागरिक होते हुए भी भारतीय नागरिक है तो उसकी भारतीय नागरिकता बनी रहने के लिए आवश्यक है कि अपनी आयु पूर्ण करने के 6 माह के अंदर अन्य देश की नागरिकता का परित्याग कर दे।

c. पंजीकरण

- नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) आमतौर पर 7 साल भारत में रह चुका हो।
- पीआईओ साधारणतया अविभाजित भारत के बाहर किसी विदेशी देश या स्थान का निवासी हो।
- व्यक्ति भारत के नागरिक से विवाहित है और नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी हो।
- भारतीय नागरिकों के नाबालिक बच्चे।
- एक वयस्क व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो।
- एक वयस्क व्यक्ति या उसके माता-पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक हो और नागरिकता के लिए आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने से भारत में रहते हो।
- एक वयस्क व्यक्ति जो 5 साल से विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है और जो नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 12 महीने से भारत में सामान्य रूप से निवासी हो।

इन सभी व्यक्तियों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होती है।

d. प्राकृतिक रूप से -

- केंद्र सरकार, एक आवेदन पर, किसी भी व्यक्ति को (जो अवैध प्रवासी ना हो) देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है।
- शर्तें -
 - किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जो प्राकृतिक रूप से भारतीय लोगों को उस देश का नागरिक बनने से रोकता है।
 - दूसरे राष्ट्र का नागरिक- उस देश की नागरिकता को त्यागने के लिए सहमत होता है यदि भारतीय नागरिकता के लिए उसका आवेदन स्वीकृत हो जाता है।
 - आवेदन की तारीख से ठीक 12 महीने पहले, वह या तो भारत में रहता था या भारत सरकार की सेवा में था, या दोनों का संयोजन।
 - उक्त बारह महीने की अवधि से ठीक पहले के चौदह वर्षों में, वह या तो भारत में रहा है या भारत सरकार की सेवा में रहा है, या आंशिक रूप से एक और आंशिक रूप से कम से कम ग्यारह वर्षों की कुल अवधि के लिए।
 - वह अच्छे चरित्र का है।

- उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा का पर्याप्त ज्ञान है। उन्हें देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है, उनकी भारत में रहने या भारत में सरकार के लिए काम करने की योजना है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका सदस्य भारत है, या भारत में स्थित एक समाज, फर्म या लोगों का समूह है।

- एक व्यक्ति जिसने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, वैश्विक शांति या मानव उन्नति में उल्लेखनीय योगदान दिया है, भारत सरकार प्राकृतिककरण के लिए पूर्वगामी सभी या किसी भी पूर्वापेक्षा को छोड़ सकती है। लेकिन भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है।

e. क्षेत्र का समावेश -

- जब कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है, तो भारत सरकार को उन लोगों को निर्दिष्ट करना होगा जो भारत के नागरिक होंगे जो कि निर्धारित तिथि से ऐसे व्यक्ति भारतीय नागरिक बन जाते हैं।
- उदाहरण - जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना, तो नागरिकता (पांडिचेरी) आदेश (1962) भारत सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम (1955) के तहत जारी किया गया था।

नागरिकता की समाप्ति

नागरिकता अधिनियम, 1955 - नागरिकता समाप्ति के निम्नलिखित तीन कारण -

a. त्याग

- एक स्वैच्छिक कार्य जिसमें एक व्यक्ति दूसरे राष्ट्र में नागरिकता प्राप्त करने के बाद अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देता है।
- भारत के युद्धरत होने के दौरान ऐसी घोषणा की जाती है, तो केंद्र सरकार पंजीकरण रोक देगी।
- यदि कोई व्यक्ति नागरिकता का त्याग करता है, तो उसके नाबालिग बच्चे भी उसे खो देते हैं।
- बच्चा 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है।

b. बर्खास्तगी

- यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वह स्वतः ही नागरिक नहीं रह जाता है।
- यह प्रावधान भारत के युद्धरत होने के दौरान लागू नहीं होता है।

c. वंचनीकरण

- केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता की अनिवार्य समाप्ति, यदि नागरिक:
 - धोखे से हासिल की गई नागरिकता।
 - भारत के संविधान के प्रति आस्था नहीं दिखाई गई हो।



- युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार।
- पंजीकरण या देशीकरण के बाद 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद।
- साधारणतया 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर निवासी रहा हो।

भारत के प्रवासी नागरिक

- केंद्र सरकार OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकरण कर सकती है।
 1. पूर्ण आयु और क्षमता का कोई भी व्यक्ति -
 - (i) जो दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन संविधान के प्रारंभ होने के समय या उसके बाद भारत का नागरिक था।
 - (ii) जो दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने के योग्य था।
 - (iii) जो किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन उस क्षेत्र से संबंधित है जो अगस्त, 1947 के 15वें दिन के बाद भारत का हिस्सा बन गया है।
 - (iv) जो ऐसे नागरिक का बच्चा या पोता है।
 - एक व्यक्ति, जो उपरोक्त खंड 1 में उल्लिखित व्यक्ति की नाबालिग संतान है।
 - एक व्यक्ति, जो एक नाबालिग बच्चा है और जिसके माता-पिता या माता-पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक हो।
 - भारत के नागरिक के विदेशी मूल के पति या पत्नी या ओसीआई कार्डधारक के विदेशी मूल के पति या पत्नी और जिनकी शादी आवेदन से ठीक पहले कम से कम 2 साल की निरंतर अवधि के लिए पंजीकृत और निर्वाह की गई है।
 - कोई भी व्यक्ति या जिनके माता-पिता / दादा-दादी / परदादा में से कोई भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य देश का नागरिक हो या रहा हो, ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।
- केंद्र सरकार उस तारीख को निर्दिष्ट कर सकती है जिससे भारतीय मूल के कार्ड धारकों के मौजूदा व्यक्तियों को भारत के कार्डधारक के विदेशी नागरिक माना जाएगा।
- केंद्र सरकार, अगर यह संतुष्ट है कि विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं, लिखित में परिस्थितियों को दर्ज करने के बाद, एक व्यक्ति को ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत कर सकती है।

विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर को प्राप्त अधिकार

- केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे।
- वह निम्नलिखित अधिकारों से वंचित रहेगा -

- सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का अधिकार।
- मतदाता के रूप में पंजीकरण।
- राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ें।
- उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ें।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति।
- लोक सभा या राज्य परिषद् के सदस्य होने के नाते।
- राज्य विधान सभा/ परिषद् का सदस्य होने के नाते।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सेवाओं और पदों पर नियुक्ति को छोड़कर संघ या किसी भी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति।

विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का त्याग

- यदि कोई ओसीआई कार्डधारक कार्ड का त्याग करता है, तो केंद्र सरकार द्वारा घोषणा को पंजीकृत किया जाएगा और उसके बाद वह व्यक्ति ओसीआई कार्डधारक नहीं रहेगा।
- यदि कोई व्यक्ति ओसीआई कार्डधारक बनना बंद कर देता है, तो उस व्यक्ति के विदेशी मूल के पति या पत्नी, जिसने ओसीआई कार्ड प्राप्त किया है और ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत उस व्यक्ति का प्रत्येक अवयस्क बच्चा ओसीआई कार्डधारक नहीं रहेगा।

विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर के रूप में पंजीकरण रद्द करना

- केंद्र सरकार द्वारा पंजीकरण रद्द कर दिया गया है अगर यह संतुष्ट है कि
 - ओसीआई के रूप में पंजीकरण धोखाधड़ी, झूठे प्रतिनिधित्व या किसी भौतिक तथ्य को छुपाकर प्राप्त किया गया था।
 - भारत के संविधान के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई।
 - भारत से जुड़े किसी भी युद्ध के दौरान, उस युद्ध में दुश्मन की सहायता के लिए अवैध रूप से व्यापार / दुश्मन के साथ संचार या किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल होना।
 - पंजीकरण के बाद 5 साल के भीतर 2 साल से कम समय के लिए कारावास की सजा।
 - भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के हित में, किसी भी विदेशी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या आम जनता के हित में आवश्यक है।
 - विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर का विकास -
 - किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्यथा भंग कर दिया गया है।
 - भंग नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह के विवाह के निर्वाह के दौरान उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है।

PIO और OCI कार्ड धारक की तुलना

	PIO	OCI
1. कौन?	एक व्यक्ति जो PIO के रूप में पंजीकृत है या जिसके पूर्वज भारतीय नागरिक थे और जो वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता / राष्ट्रीयता धारण कर रहा है अर्थात उसके पास विदेशी पासपोर्ट है।	नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ए के तहत भारत के विदेशी नागरिक (OCI) के रूप में पंजीकृत एक व्यक्ति।
2. कौन योग्य है?	<ol style="list-style-type: none"> 1. उसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट था 2. वह / वह या उसके माता-पिता या दादा-दादी या दादा-दादी के रूप में <ul style="list-style-type: none"> • भारत सरकार अधिनियम 1935 और उसके बाद भारत का हिस्सा बनने वाले अन्य क्षेत्रों में परिभाषित भारत में जन्मे। • भारत सरकार अधिनियम 1935 और उसके बाद भारत का हिस्सा बनने वाले अन्य क्षेत्रों में परिभाषित भारत में स्थायी रूप से निवासी। • बशर्ते न तो किसी भी समय किसी भी देश का नागरिक हो, जैसा कि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। 3. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वह भारत के नागरिक या PIO का जीवनसाथी है। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. संविधान के प्रारंभ होने के समय या किसी भी समय भारत का नागरिक। या 2. जो 26.01.1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था; या 3. जो एक ऐसे क्षेत्र से संबंधित थे जो 15.08.1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया; या 4. जो ऐसे नागरिक का बच्चा या पोता है; या 5. जो ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों का अवयस्क बच्चा है; या 6. जो नाबालिग बच्चा है और दोनों माता-पिता भारत के नागरिक हैं या उनमें से एक हैं माता-पिता भारत के नागरिक हैं; या 7. भारत के नागरिक के विदेशी मूल के पति या पत्नी। नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत OCI कार्डधारक का विदेशी मूल, और जिनकी शादी रजिस्टर्ड हो चुकी है और निर्वाह आवेदन की प्रस्तुति से ठीक पहले दो वर्ष से कम नहीं किया हो।
3. कैसे प्राप्त होगी?		पात्र व्यक्ति संलग्नकों सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें। फॉर्म गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध है।
4. कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है।	नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, उसे सामान्य रूप से पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल की अवधि के लिए भारत का निवासी होना चाहिए।	नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, एक व्यक्ति 5 वर्षों के लिए OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है और जो सामान्य रूप से पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 12 महीने तक साधारणतया भारत में निवास करता हो, भारतीय नागरिकता के लिए पात्र है। OCI पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों पर लागू नहीं होगा। नागरिकता अधिनियम और OCI के लिए केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही पात्र हैं। कंपनियां और कॉर्पोरेट पात्र नहीं हैं।

भारत में शरणार्थी

तिब्बत	<ul style="list-style-type: none"> • 1950 और 60 के दशक में भारत आए शरणार्थी का दर्जा दिया। • वर्ष में एक या दो बार पंजीकरण क्रेडेंशियल का नवीनीकरण करें। • भारत में पैदा हुए तिब्बती भी 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए पात्र हैं।
भूटान	<ul style="list-style-type: none"> • भारत और भूटान के बीच संधि ने दोनों देशों के बीच एक खुली सीमा स्थापित की, जिसे फरवरी 2007 में संशोधित किया गया। • पहचान पत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, जीने, अध्ययन और काम का अधिकार सुनिश्चित है।
श्रीलंका	<ul style="list-style-type: none"> • चूंकि श्रीलंकाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें चेंगलपेट या वेल्लोर में 'विशेष शिविरों' में रखा जाता है। • सरकार घरेलू दुर्व्यवहार से बचने वाले श्रीलंकाई लोगों को शरणार्थी मानती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है।
पाकिस्तानी हिंदू	<ul style="list-style-type: none"> • 1965 से अब तक 115000 से अधिक पाकिस्तानी शरणार्थी भारत आ चुके हैं। • 2019 में नागरिकता अधिनियम में हालिया संशोधनों ने उन्हें भारतीय नागरिकता का दावा करने के योग्य बना दिया है।